योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मध्यप्रदेश

क्र. 682/2013/रा.यो.आ./जि.यो./वि.नि./ भोपाल, दिनांकः 6-7-13

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः— विकेन्द्रीकृत जिला योजना (Decentralized Planning) वर्ष 2014—15 बनाने हेतु दिशा—निर्देश ।

प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास के लिए योजना में जन—सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली वर्तमान की आवश्यकता है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय स्व—शासन की इकाईयों को संवैधानिक मान्यता देते हुये विकेन्द्रीकृत नियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली का उददेश्य नियोजन प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांग और बेसहारा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी आवश्यकताओं का आंकलन करयोजना का निर्माण करना है।

उक्त प्रक्रिया वर्ष 2010—11 से पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक अपनाई जा रही है। जिसका श्रेय आप सभी के विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए गंभीर सोच व प्रयासों को जाता है। किंतु अभी इस दिशा में और अधिक समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। विगत वर्षों की भांति वर्ष 2014—15 हेतु भी विकेन्द्रीकृत जिला योजना बनाई जानी है। इस संबंध में योजना निर्माण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, समय—सीमा, वित्तीय प्रावधान आदि के विस्तृत दिशा—निर्देश पत्र के साथ सलंग्न है।

जिलों की योजना सीमा निर्धारण समुदाय द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं एवं विभागीय रिस्पांस प्लान के आधार पर ही किया जावेगा। अतः इस प्रक्रिया को और अधिक गहनता एवं गंभीरता के साथ क्रियान्वित करने की अपेक्षा की जाती है। प्रक्रिया में निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दिया जाये :—

- विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के दौरान विगत वर्षों में स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन एवं नियमित मॉनीटरिंग।
- विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली में समस्त वर्गो की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो।
- ग्राम/वार्ड द्वारा प्रस्तावित योजना का ग्राम सभा/वार्ड सभा में वास्तविक अनुमोदन अनिवार्यतः हो।
- समस्त डाटा की गुणवत्ता हेतु नियोजन प्रपत्र ध्यान से भरे जावें जैसे गतिविधि की इकाई, इकाई लागत, संबंधित योजना/क्षेत्रक से चिन्हांकित/लिंक करना आदि। साथ ही साफ्टवेयर में डाटा प्रविष्ठी का कार्य त्रुटि रहित हो।
- जिला स्तर के संबंधित विभाग प्रस्तावित कार्यो का विश्लेषण कर विभागीय रिस्पोंस प्लान (Response Plan) की डाटा इंन्ट्री अवश्य कराएं तथा समय—समय पर प्रगति को साफ्टवेयर में प्रविष्टि तथा अपडेट करें।

राज्य योजना आयोग द्वारा विकेन्द्रीकृत एवं एकीकृत जिला योजना निर्माण को सफल बनाने हेतु विस्तृत दिशा—निर्देशों के अलावा एक विस्तृत मैन्युअल, विभिन्न प्रशिक्षण मोड्यूल, सोफ्टवेयर हेतु विशेष मोड्यूल आदि को विकसित किया गया है ताकि विभिन्न मास्टर प्रशिक्षकों, नियोजन प्रक्रिया के सहयोग दलों को प्रक्रिया की बारीकियाँ एवं समझ विकसित हो सके। उपरोक्त सामग्री वेबसाइट www.mpplanningcommission.gov.in पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है।

इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः कृपया आप निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपने मार्गदर्शन में ग्राम सभ ा/ ग्राम पंचायत स्तर/ नगरीय वार्ड

आदि नियोजन इकाईयों से योजनायें तैयार कराकर विभिन्न स्तरों पर समेकित करते हुए ''समेकित जिला योजना'' प्रारूप तैयार करें और निर्धारित अवधि में पूर्ण तथा उक्तानुसार साफ्टवेयर में प्रविष्टि कर दिनाँक 20 सितम्बर 2013 तक राज्य योजना आयोग को प्रेषित करें। उक्त कार्य में अंतिम दिनांक की प्रतीक्षा न करते हुये पूर्ण प्रक्रिया समयावधी में करें जिससे कि गुणवत्ता पूर्ण जिला योजना का निर्माण किया जा सके। **जिलों की समेकित जिला योजना को राज्य योजना आयोग में चर्चा उपरांत अंतिम रूप दिया जायेगा।** विश्वास है कि, वर्ष 2014–15 की विकेन्द्रीकृत एवं समेकित जिला योजना आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनेगी और आप प्रदेश में इस परिवर्तन को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। इस संबंध में यदि और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता हो तो इस संबंध में राज्य योजना आयोग के दूरभाष क्रं. 0755–4093743 पर संपर्क किया जा सकता है।

सलंग्नः– 1. विकेन्द्रीकृतएवं समेकित जिला योजना 2014–15 हेतु क्रियान्वयन मार्गदर्शिका.
2. जिलों की प्रस्तावित जिला योजना राशि सीमा वर्ष 2014–15 की सूची.

(एस.आर.मोहंती)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्र.683/2013/रा.यो.आ./जि.यो./वि.नि./ भोपाल, दिनांकः 6-7-13

प्रतिलिपिः–

1. पी.ए. टू समस्त माननीय प्रभारी मंत्री, जिला...,मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. समस्त अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत..जिला...........
3. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला.. ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव .... विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त आयुक्त ....संभाग
6. समस्त विभागाध्यक्ष .... विभाग, भोपाल की ओर लेख है कि कृपया संबंधित विभाग को अपने स्तर से भी निर्देश जारी करें।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
8. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय सांख्यिकी कार्यालय............................. संभाग।
9. समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।
11. कार्यपालक निदेशक, म.प्र.जन अभियान परिषद।
12. समस्त अधिकारी ....राज्य योजना आयोग।

सलंग्नः– विकेन्द्रीकृत एवं समेकित जिला योजना प्रक्रिया 2014–15 हेतु क्रियान्वयन मार्गदर्शिका।

(एस.आर.मोहंती)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
मंत्रालय, भोपाल